मेसर्स वेस्टलिंक ट्रेडिंग प्रा0लि0 द्वारा गया जिला के वाजिदपुर बालू खदान (स्ट्रेच–4, ब्लाक–2) से मोरहर नदी के 30.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर बालू खदान करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिंनाक 16.03.2019 को राजकीय मध्य विद्यालय, वाजिदपुर, प्रखण्ड–आमस, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–577 दिंनाक 16.03.2017 के आलोक मे मो0 बलागउद्‌दीन, अपर समाहर्ता गया (जिलाधिकारी गया द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिंनाक 16.03.2019 को राजकीय मध्य विद्यालय, वाजिदपुर, प्रखण्ड–आमस, जिला–गया मे लोक सुनवाई आयोजित की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर के माध्यम से दिंनाक 13.02.2019 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति जन समुदाय एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष मो0 बलागउद्‌दीन अपर समाहर्ता, गया के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सुभाष कुमार पाण्डेय ने इकाई को उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोसल कॅारपोरेट रेस्पॅान्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि धूल को उड़ने से बचाने के लिए सड़को पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। गीली बालू का परिवहन कर बालू को उड़ने या गिरने से रोका जायेगा। वाहनों की ओवरलोडिंग नही की जायेगी। खनन कार्य सतह से 2–3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॅार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। सड़क के किनारे बृक्षरोपण किया जायेगा परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावो द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं÷

1. श्री राजेश्वरी सिंह, ग्राम–वाजिदपुर, जिला–गया द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में बालू *खनन वर्ष 1990 से ही हो रहा है। गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है।* भूजल स्तर नीचे जा रहा है। पानी की समस्या है। ट्रैक्टर चलने से धूल उड़ रहा है। खेत में धूल जाने से फसल को नुकसान होता है।

2. श्री अभय कुमार, ग्राम– वाजिदपुर, जिला–गया, श्री उदय सिंह, वार्ड सदस्य वाजिदपुर, श्री मुनेश्वर सिंह, ग्राम–वाजिदपुर, श्री सर्वेश सिंह, ग्राम–वाजिदपुर, श्री धनेश्वर सिंह, ग्राम–वाजिदपुर, श्री रंजीत सिंह, ग्राम–वाजिदपुर द्वारा बताया गया कि बालू खनन से पर्यावरण को क्षति होती है। सड़क पर गाडी लगा देते है, जिससे दिक्कत है। धूल के कारण सड़क के किनारे का खेत खराब हो रहा है। भूजल स्तर नीचे जा रहा है।

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का खनन 2–3 मीटर तक एवं भूजल स्तर के ऊपर ही किया जायेगा। बालू उठाने से जल स्तर नीचे नही जायेगा। जल स्तर नीचे जाने का अन्य कारण भी हो सकता है। यह एक जियोलॉजिकल प्रक्रिया के तहत होता है। कम वर्षा होने के कारण भी भूजल स्तर नीचे चला जाता है। खनन के दौरान भूजल स्तर का ख्याल रखा जायेगा। बालू खनन का कार्य पूर्णत: वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। बालू खनन न करने से बाढ़ की समस्या आ सकती है। धूल कण की समस्या के निदान हेतु कच्ची सड़क पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सड़क का मरम्मत कार्य की जायेगी। बालू का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जायेगा। बृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।

3. श्री विवेकानन्द यादव एवं श्री सुजीत कुमार, ग्राम– वजीदपुर, जिला–गया, द्वारा बताया गया कि बालू खनन से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है इसलिए खनन कार्य चालू कराया जाए।

4. श्री छोटू यादव, ग्राम–वाजिदपुर, जिला–गया द्वारा बताया गया कि बालू घाट बन्द होने के कारण बालू की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं बेरोजगारी बढ़ जाता है। उनके द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन किया गया।

अपर समाहर्ता (अध्यक्ष) द्वारा बताया गया कि आम जनों से प्राप्त सुझावों का ख्याल रखा जायेगा। बालू की खोदाई बरसात के दिनो में नही की जायेगी। खनन कार्य करने से सरकार को भी राजस्व की प्राप्त होगी। विकास कार्य किये जायेग। स्थानीय मजदूर को रोजगार प्राप्त होगा। इकाई द्वारा प्रतिवर्ष पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। पेड़ से पर्यावरण प्रदूषित नही होगा। बालू खनन से बालू की कमी नही होगी। खनन न होने से बालू के लिए हाहाकार मच जाता है। धूल–कण से प्रदूषण को रोकने हेतु सुखा बालू को तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा एवं कच्ची सड़क पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के खनन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

16.3.19 — 16.03.19

(आशीष कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,गया।

(मो० बलागउद्दीन)
अपर समाहर्ता
गया।

उपस्थिति सूची

मेसर्स वेस्टलिंग ट्रेडिंग प्रा० लि० द्वारा गया जिला के वाजिदपुर बालू खदान (स्ट्रेच-4, ब्लॉक-2) से मोरहर नदी के 30.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर बालू खदान करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजकीय मध्य विद्यालय, वाजिदपुर, प्रखण्ड- आमस, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 16.03.2019 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:-

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	Md Balaghuddin	Adm (D.E.) Gaya	Balagh
2	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०प्र० नियंत्रण पर्षद, गया	आ०गु० 16-3-19
3	Manorayan Kr. Singh	A.S.O., B.S.P.C. Bd, Patna	[illegible]
4	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	Gaya collectorate	
5	Subhash Kumar consultant	CREPL Noida	[illegible]
6	विवेकानन्द यादव	वाजिदपुर	विवेकानन्द यादव
7	Anuj kumar	Bajitpur	Anuj kumar.
8	भोला राम	इमामपुर	M.V.
9	M.D Tabrez Khan	इमामपुर	Tabz
10	Sujeet Kumar	Bajitpur	Sujeet
11	Amit Singh	BAJIT PUR	Amit

12	Abhay kumar	BAJITPUR	Abhay Kumar
13	Raj Gaurav	Bajitpur	Raj Gaurav
14	[illegible]	Bajitpur	[illegible]
15	Akram Khan	Hamzapur	Akram
16	Chotu Khan	Hamzapur	Chotukhan
17	Adnan Khan	Hamzapur	AdnanKhan
18	Sugeshwar	BAJITPUR	Sugesh
19	Sarvesh		
20	Shashi Yadav	Malmachak	Shashi
21	Guddu Kum	Wazidpur	[illegible]
22	Javed Khan	Wadirpur	
23	Modassir Imam	Hamzapur	Sm. Imam
24	Aamir Khan	Hamzapur	Aamir Khan
25	आरिफ खान	हमज़ा पुर	Aarif
26	Ahmedcelcu	Hamzapur	[illegible]
27	नदरेइ आलम	8084624550	

28	महेश यादव	राजपुर	[illegible]
29	सिद्ध आनंद	काजीपुर	Sidda
30	Ramchandra Kumar	कुल्हार	[illegible]
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			